न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–रूक्मणि रियार सिहाग आई.ए.एस.

अपील संख्याः–02/2023 अन्तर्गत धारा 16 भरण–पोषण अधिनियम

नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवन्त जाति जाट निवासी 11 डीपीएन (गोगामेड़ी) तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।

––अपीलाण्ट

बनाम

1. बलवन्त पुत्र श्री महीपाल जाति जाट निवासी 11 डीपीएन (गोगामेड़ी) तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

––असल रेस्पोडेंट

2. अशोक पुत्र श्री बलवन्त जाति जाट निवासी 11 डीपीएन (गोगामेड़ी) तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 28.02.2023 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर के प्रकरण सं. 19/2022 अनवान बलवन्त बनाम अशोक कुमार आदि के सम्बन्ध में।

निर्णय **दिनांकः–05.07.2023**

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5(1) क–ख माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 इस आशय का प्रस्तुत किया कि "प्रार्थी 62 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक है तथा प्रार्थी कैंसर रोग से पीड़ित है तथा गैरसायल संख्या 1 व 2 जो कि प्रार्थी के पुत्र है जिन्होनें प्रार्थी को घर से निकाल दिया है जिस कारण प्रार्थी तंग व परेशान है। प्रार्थी को अपना ईलाज व जीवन निर्वहन की भारी समस्या हो गई है। प्रार्थी को भूखा मरने की नौबत आ चुकी है। प्रार्थी के पास आय का कोई साधन नहीं है। प्रार्थी को अपने रिश्तेदारों एवं जान पहचान के लोगो के पास आसरा लेना पड़ रहा है। वर्तमान में प्रार्थी तहसील भादरा में अपनी बहन के पास रह कर अपना उपहार करवा रहा है। प्रार्थी का पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 जो कि निजी कम्पनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की अच्छी आमदनी है व सायल संख्या 2 भादरा में सोलन व इलेक्ट्रिक उपकरण की दुकान करता है तथा पूर्व में दुकान प्रार्थी संचालित करता था तथा रोही मौजा चक 11 डीपीएन में 13 बीघा पैतृक कृषि भूमि है उसे भी अप्रार्थी संख्या 2 संभालता है व काश्त करता है। प्रार्थी की दुकान व 11 डीपीएन में स्थित मकान को अप्रार्थी संख्या 2 ने लिया जाकर प्रार्थी को घर से निकाल दिया है। अप्रार्थी संख्या 2 की दुकान व कृषि भूमि से अच्छी आमदनी है प्रार्थी ने अपने पुत्रों अप्रार्थी संख्या 1, 2 को अच्छी शिक्षा दिलवाई व विवाह, रोजगार दिलवाकर कामयाब किया है। प्रार्थी ने अपने दोनो पुत्रों को कामयाब करने के लिये पूरा जीवन निकाल दिया लेकिन प्रार्थी के दोनो पुत्र प्रार्थी की देखभाल नहीं करते हैं व प्रार्थी के पास जो भी धन सम्पदा, सम्पति थी। प्रार्थी को जबरन घर से निकाल दिया। प्रार्थी वृद्ध हो चुका है तथा कैंसर रोग से पीड़ित है व मेहनत मजदूरी करने लायक नहीं है। प्रार्थी के पास आय का कोई साधन नहीं है। प्रार्थी के पुत्र प्रार्थी की देखभाल सेवा चाकरी नहीं करते है तथा ना ही जीवन निर्वहन हेतु कोई भरण पोषण राशि नहीं देते है जिस कारण से प्रार्थी को बुढापे में मुश्किलें बढ गई है। प्रार्थी को भरण पोषण दवाई आदि के लिये अप्रार्थीगण से प्रतिमाह 10,000/– रूपये दिलवाया जाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पोंडेंट 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट को प्रतिमाह 3000–3000/– रूपये अपीलाण्ट व

रेस्पोडेंट संख्या 2 से दिलाये जाने का आदेश फरमाये गये तथा इस राशि को प्रार्थी के बैंक खाता में जमा करवाये जाने का आदेश फरमाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 28.02.2023 कतई गलत, अनुचित व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है जो अपास्त किये जाने योग्य है । प्रार्थी / रेस्पोडेंट संख्या 1 गलत संगत में है तथा मोहनगढ़ की 25 बीघा भूमि में से 6.05 बीघा भूमि अपने छोटे भाई के पुत्र विकास कुमार पुत्र भीम सिंह निवासी 11 डीपीएन के नाम से हक त्याग कर चुका है। इसके अलावा मोहनगढ़ में अपने हिस्से की 8 बीघा भूमि पहले ही बेचान कर चुके है। प्रार्थी / रेस्पोडेंट संख्या 2 सोलर का बिजनस करता है रेस्पोडेंट संख्या 1 अपने छोटे भाई की पत्नी मोहनी देवी पत्नी भीम सिंह के साथ 11 डीपीएन में रहता है और अपनी समस्त आमदनी मोहनीदेवी व उसके बच्चों पर खर्च करता है। रोही मौजा 11 डीपीएन में अपीलाण्ट के दादा के नाम से 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें से अपीलाण्ट व भाई को प्रत्येक 2.03 बीघा भूमि आती है तथा अपीलाण्ट के दादा ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की वसीयत अपने पौत्रगण के पक्ष में करवाई थी लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 1 उक्त वसीयत भूमि पर भी उपखण्ड अधिकारी नोहर में एक वाद अनवानी बलवन्त बनाम सुभाष इश्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है। इस प्रकार से रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास आमदनी के पर्याप्त स्त्रोत है लेकिन इन तथ्यों पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर ना कर कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट मधुमेह रोग से पीड़ित है तथा अपीलाण्ट की पत्नी व बच्चें बीमार रहते है जिनकी दवाईयां चल रही है तथा अपीलाण्ट अपना व परिवार का ईलाज अपनी आर्थिक स्थिति दयनीय व कमजोर होने के कारण राजकीय चिकित्सालय से उपचार ले रहा है। अपीलाण्ट मजदूरी पेशा है तथा आय का कोई स्थाई स्त्रोत नहीं है जबकि रेस्पोडेंट संख्या एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसे किसी प्रकार का कैंसर नहीं है। उसने कैंसर रोग से पीड़ित होने का मिथ्या कथन किया है। इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर ना कर कानूनी भूल की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उन्हें तंग परेशान करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किया था। रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास आमदनी के पर्याप्त साधन है व वृद्धावस्था पेंशन भी सरकार से ले रहा है आदि कथन करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 28.02.2023 अपास्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अपीलांट जरिये न्यायमित्र श्री महेन्द्र सिंह [illegible] एवं रेस्पोडेन्ट सं. 01 स्वयं व रेस्पोडेन्ट सं. 02 जरिये न्याय मित्र श्री नदीम हैदर वकील उपस्थित। उभय पक्ष को सुना गया।

न्यायमित्र अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 गलत संगत में है तथा मोहनगढ़ की 25 बीघा भूमि में से 6.05 बीघा भूमि अपने छोटे भाई के पुत्र विकास कुमार पुत्र भीम सिंह निवासी 11 डीपीएन के नाम से हक त्याग कर चुका है। इसके अलावा मोहनगढ़ में अपने हिस्से की 8 बीघा भूमि पहले ही बेचान कर चुके है। रेस्पोडेंट संख्या 1 अपने छोटे भाई की पत्नी मोहनी देवी पत्नी भीम सिंह के साथ 11 डीपीएन में रहता है और अपनी समस्त आमदनी मोहनीदेवी व उसके बच्चों पर खर्च करता है। इस प्रकार से रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास आमदनी के पर्याप्त स्त्रोत है। रेस्पोडेंट संख्या 01 स्वस्थ व्यक्ति है जिसे किसी प्रकार का कैंसर नहीं है। उसने कैंसर रोग से पीड़ित होने का मिथ्या कथन किया है। अत अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे।

न्यायमित्र रेस्पोडेन्ट सं. 02 ने उपस्थित होकर न्यायमित्र अपीलाण्ट द्वारा किये गये कथनों का समर्थन किया और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किये जाने बाबत निवेदन किया।

न्यायमित्र रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने उपस्थित होकर अपीलाण्ट के कथनों का जवाब देते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 01 वरिष्ठ नागरिक है तथा कैंसर रोग से पीड़ित है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 के पुत्रों ने घर से निकाल दिया है जिस कारण प्रार्थी तंग व परेशान है। प्रार्थी को अपना ईलाज व जीवन निर्वहन की भारी समस्या हो गई है। प्रार्थी को भूखा मरने की नौबत आ चुकी है। प्रार्थी के पास आय का कोई साधन नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 का पुत्र अपीलाण्ट जो कि निजी कम्पनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है, की अच्छी आमदनी है व रेस्पोडेन्ट सं. 02 भादरा में सोलन व इलेक्ट्रिक उपकरण की दुकान करता है तथा तथा रोही मौजा चक 11 डीपीएन में 13 बीघा पैतृक कृ

षि भूमि है उसे भी अपीलाण्ट संभालता है व काश्त करता है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 कि पुत्र उसकी देखभाल सेवा चाकरी नहीं करते है तथा ना ही जीवन निर्वहन हेतु कोई भरण पोषण राशि देते है जिस कारण से प्रार्थी को बुढापे में मुश्किलें बढ गई है। प्रार्थी को भरण पोषण दवाई आदि के लिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावे और अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

दोनों पक्षकारों के कथनों पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 28.02.2023 अपास्त फरमाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी के कथनानुसार रेस्पोडेंट संख्या 1 अपनी हक हिस्सा की भूमि में से अपने छोटे भाई के पुत्र विकास कुमार पुत्र भीम सिंह निवासी 11 डीपीएन के नाम से हक त्याग कर चुका है। अब उनके पास ही रहता है, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से यह स्पष्ट हो रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास आमदनी के पर्याप्त स्त्रोत है, अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या तथ्य पेश नहीं किया है। रेस्पोडेंट संख्या 01 स्वस्थ व्यक्ति है जिसे किसी प्रकार का कैंसर नहीं है, इसके सम्बन्ध में न्यायामित्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 एक वृद्ध व तथा कैंसर रोग से पीड़ित है साथ ही रेस्पोडेन्ट सं. 01 स्वयं पेश होकर जांच रिपोर्ट आदि प्रस्तुत कर दोनों बेटों द्वारा सेवा चाकरी नहीं करना और पुत्रों द्वारा घर से निकाल दिये जाने का कथन किया। रेस्पोडेन्ट सं. 01 के पास आय का कोई साधन नहीं होने से ईलाज व जीवन निर्वहन की समस्या होना प्रतीत होती है। न्यायमित्र रेस्पोडेन्ट सं. 01 अनुसार अपीलाण्ट जो कि निजी कम्पनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है, की अच्छी आमदनी है व रेस्पोडेन्ट सं. 02 भादरा में सोलन व इलेक्ट्रिक उपकरण की दुकान करता है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 की वृद्धावस्था एवं शारीरिक दृष्टि से भी कमजोर एवं बीमार प्रतीत होता है और उम्र के दृष्टिगत मेहनत–मजदूरी करने में भी असमर्थ प्रतीत होता है। इसलिए रेस्पोडेन्ट सं. 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जीवन–यापन, बीमारी व दैनिक सुविधाओं के लिए अपने पुत्रों से भरण–पोषण की मांग की गई जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 01 को रहने के लिए आवास व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना दोनों पुत्रों का नैतिक दायित्व है। उक्त विवेचनानुसार यह अपील खारिज होने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज़ की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.02.2023 उचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर को पालनार्थ लौटाया जावे। निर्णय की प्रति उभय पक्ष को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़